छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3735/2007

याचिकाकर्ता :

बी.आर. राठौर, आत्मज स्व. श्री अवध रामराठौर, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी कौड़िया, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण:

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2) संयुक्त संचालक, लेखा, कोष एवं पेंशन, बिलासपुर (छ.ग.)।

3) सहायक संचालक, पेंशन प्रतिवेदन, आदिम जाति विकास, बिलासपुर (छ.ग.)।

4) विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थिति:

श्री एम.के. सिन्हा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीमती स्मिता घई, राज्य के लिए पैनल लॉयर।

मौखिक आदेश

(दिनांक 11-3-2008 को पारित)

इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने आदेशों दिनांक 4-12-2006 (संलग्नक पी/11) एवं 2-12-2006 (संलग्नक पी/12) को चुनौती दिया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति देयकों/उपादान राशि से अतिरिक्त भुगतान के एवज में 2,76,219/- रुपये की राशि काट ली है।

2) संक्षिप्त तथ्य, यह हैं कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था, जो अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने के उपरांत, दिनांक 12-3-2003 (संलग्नक पी/7) को सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। उसे प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा जारी आक्षेपित आदेश दिनांक 4-12-2006 (संलग्नक पी/11) और 2-12-2006 (संलग्नक पी/12) प्राप्त हुए, जो उसके सेवानिवृत्ति देयकों से 2,76,219/- रुपये की राशि की वसूली हेतु थे, जो कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवा अवधि के दौरान अतिरिक्त भुगतान की गई थी। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को दिनांक 17-1-2007 (संलग्नक पी/16) को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि वह दिनांक 12-3-2007 (संलग्नक पी/7) [**sic**] को सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और न तो उसे कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है और न ही याचिकाकर्ता की सेवा अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई नोटिस जारी किया गया है। उसकी सेवानिवृत्ति के बाद आक्षेपित आदेश दिनांक 4-12-2006 और 2-12-2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(संलग्नक पी/11 एवं पी/12) जारी किए गए हैं, जो न्यायसंगत और उचित नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को दिए गए अभ्यावेदन दिनांक 17-1-2007 (संलग्नक पी/16) पर विचार नहीं किया गया है।

3) व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है और प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, उसके पक्ष को रखने के लिए, याचिकाकर्ता के पेंशन संबंधी लाभों से 2,76,219/- रुपये की कटौती करने वाले आक्षेपित आदेश दिनांक 4-12-2006 (संलग्नक पी/11) और 2-12-2006 (संलग्नक पी/12) अवैध, मनमाने और अनुचित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई त्रुटि नहीं है और राशि का भुगतान उसे समय-समय पर उत्तरवादीगण द्वारा संशोधित और निर्धारित वेतनमान के अनुसार किया गया है। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं कर सकते वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता गुणा-गुण के आधार पर अन्य अनुतोष पर बल नहीं देना चाहता, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता को पहले ही भुगतान की गई राशि की वसूली, उस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान के कारण, सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना सेवानिवृत्ति देयकों/उपादान राशि से नहीं की जा सकती।

5) दूसरी ओर, उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ता का वेतन उपबंधों के विपरीत निर्धारित किया गया था और जांच करने पर यह पाया गया कि अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है, अतः सेवानिवृत्ति के बाद भी, बिना सुनवाई का अवसर दिए, याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों/उपादान राशि से इसकी वसूली की जा सकती है।

6) उच्चतम न्यायालय ने **साहिब राम विरुद्ध हरियाणा राज्य एवं अन्य**[1] के प्रकरण की कंडिका 5 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "5. हालांकि, यह अपीलार्थी द्वारा किए गए किसी गलत निरूपण के कारण नहीं है कि उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था, अपितु प्राचार्य द्वारा की गई गलत व्याख्या के कारण था, जिसके लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में, आज तक भुगतान की गई राशि की अपीलार्थी से वसूली नहीं की जा सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) उत्तरवादीगण/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने शासकीय देयकों की वसूली और समायोजन के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (संक्षेप में, "नियम 1976") के नियम 65 का अवलंब लिया हैं। नियम 1976 का नियम 65 निम्नानुसार है:

1 1995 supp (1) SCC 20

"नियम 65. शासकीय बकाया की वसूली और समायोजन – (1) प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक का कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व सभी शासकीय बकाया चुकता करे ।

(2) जहाँ शासकीय सेवक शासकीय बकाया का चुकारा नहीं करता है और ऐसी बकाया अभिनिश्चित किये जाने योग्य है, तो –

(क) उस व्यक्ति से उसके समतुल्य नगद जमा प्राप्त कर ली जाय; अथवा

(ख) अभिनिश्चित शासकीय बकाया के कारण उसके बराबर वसूली योग्य धनराशि, उससे उसके नाम-निर्देशितों को अथवा उसके कानूनी वारिसों को भुगतान होने वाले उपदान से काट ली जावेगी ।

स्पष्टीकरण– "अभिनिश्चित-शासकीय-बकाया" में शामिल है- भवन निर्माण अथवा वाहन अग्रिम की बकाया, शासकीय आवास पर वास्तविक कब्जे से सम्बन्धित किराया और अन्य प्रभार का बकाया, वेतन और भत्तों का भुगतान-आधिक्य और आय-कर अधिनियम , 1961 (1961 का 48) के अधीन स्त्रोत पर कटौती-आय कर की बकाया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि नियम 1976 के नियम 65 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी, प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों और कार्य में निष्पक्षता का पालन करना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में, राज्य/प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता

को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है कि उपादान राशि से अतिरिक्त राशि के रूप में कटौती क्यों नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किए जाने योग्य है।

9) इस न्यायालय ने **विद्याधर तिवारी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[2] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता को किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान के लिए वह दोषी नहीं था और उसके द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग उसने स्वयं को उसी के अनुसार समायोजित करते हुए उसे अपना वेतन मानते हुए किया होगा। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों/उपादान राशि से कथित अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश देना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) पूर्वोक्त के दृष्टिगत और जैसा कि दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया है, यह याचिका विद्याधर तिवारी (उपरोक्त) के प्रकरण में पारित आदेश के निबंधनों में स्वीकार की जाती है, अर्थात आक्षेपित आदेश दिनांक 4-12-2006 (संलग्नक पी/11) और 2-12-2006 (संलग्नक पी/12), जो याचिकाकर्ता को कथित तौर पर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का निर्देश देते हैं, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। याचिकाकर्ता बिना किसी कटौती के पूर्ण पेंशन लाभ/उपादान राशि का हकदार है। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी चाहें तो, विधि और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार नियम 1976 के नियम 65 का अवलंब ले सकते हैं। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

2 2006 (1) MPHT 105 (CG)

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur